

(नियम 26)

जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू  
संस्कार परिषद् खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयसिंह यादव बनाम दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा  
किस्म मुकदमा FSSAI Act 2006 नं. 16 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/22	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं सपटित धारा 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2022 को पेश हो।</p>	
28/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मेरे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा पेश जबाब प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक/अभियुक्त का कथन है, कि उसने कोर्ट रोड़, चिड़ावा झुन्झुनू में मै0 शर्मा चाट भण्डार, के नाम से चाट की दुकान कर रखी है, जहां वह साग रोटा बनाकर बेचता है। सामग्री लिया गया साग (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, घी से निर्मित) बाजार से सामग्री खरीद कर बनाया है। इसमें उसने कोई मिलावट नहीं की है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./346/एक्ट/2022/362/दिनांक 09.02.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ साग (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, घी से निर्मित) में प्रयुक्त घी में वसा मानको के अनुरूप नहीं होने के कारण सब-स्टेण्डर्ड (Sub-Standard) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 शर्मा चाट भण्डार में खाद्य पदार्थ साग (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, घी से निर्मित) स्वयं तैयार कर बेचान करता है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ साग (गोभी, मटर, टमाटर, प्याज, मसाले, घी से निर्मित) के सब-स्टेण्डर्ड (Sub-Standard) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, मै0 शर्मा चाट भण्डार, कोर्ट रोड़ चिड़ावा निवासी ब्राह्मणों की ढाणी पोस्ट पिचानवा, सूरजगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को</p>	

अति. जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

दिनेश शर्मा



जज  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 2000/- दो हजार रुपये अर्थदण्ड/ जुर्माने	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	--	--

दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर  
झुंझुनू

अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख